भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2540

उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

केन्द्रीय विद्यालयों में परिवहन सुविधाएं

2540. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालयों के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है क्योंकि केन्द्रीय विद्यालयों में परिवहन सुविधाएं नहीं हैं और इससे छात्रों के माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सम्पूर्ण देश के कितने केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास सुविधाएं हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी अथवा ट्रांस-शारदा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने अथवा छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविस.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्रों को केंद्रीय विद्यालय (केवि) तक आने-जाने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। माता-पिता अपने बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था स्वयं करते हैं। इसके अलावा, केवि के छात्रों से ली जाने वाली फीस बहुत मामूली है।

(ख) केविस. से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 03 केविस. अर्थात केवि, लैंसडाउन, केवि नंबर 1, दिल्ली कैंट और केवि, पचमढ़ी में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जो स्थानीय मांगों को पूरा करने और कनेक्टिविटी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुत पहले स्थापित किए गए थे।

(ग). नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय विद्यालय पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान कर मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों को भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है जिसमें मानदंडों के अनुसार एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित अपेक्षित संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल रहती है। प्रस्ताव मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

केविस. से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी या ट्रांस-शारदा क्षेत्र में नए केवि खोलने के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, केवि, लखीमपुर खीरी या उत्तर प्रदेश के ट्रांस-शारदा क्षेत्र में किसी अन्य केवि में छात्रावास की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******